

**U.N.I.****F.N.P.O.****I.N.T.U.C**

ना पहाड़ों से डरते, ना तूफानों से डगमगाते हैं, जो तूफानों से टकराते हैं  
और डाक कर्मचारियों के दुःखों को दूर करने के लिए लड़ते हैं उसे  
FNPO-NUPE Postmen & MTS, Group C Union कहते हैं।



# POSTAL PRAKASH



सी.एच.क्यू., दलवी सदन, खुर्शीद स्क्वायर, सिविल लाईंस, दिल्ली-110054

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 50/-

Single Copy Rs. 5/-

Editor : T.N. RAHATE

Vol. No. XXXIV - No. 9

SEPTEMBER, 2018

## HINDI ISSUE

### Contents

#### Page 1

India Post Payment Bank (IPPB)

#### Page 3

Replies Received from the Directors

#### Page 5

Revision of Entitlement of TA/DA  
to JCM Members

#### Page 7

General Secretary Letter  
Addressed to Secretary (P)

#### Page 9

डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद)  
भर्ती नियम, 2015,

#### Page 16

Chalo Thiruvanamalai,  
Tamil Nadu Circle for 21st AIC of  
NUPE Postmen & MTS, Group C

## India Post Payment Bank (IPPB)

Long awaited opening of IPPB took place on 1st September, 2018. The inauguration function was held at Talkatora Stadium, New Delhi. The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi and Communication and IT Minister Shri Manoj Sinha were present.

The Prime Minister has declared that IPPB is opened from 1st September, 2018. He spoke on the occasion, and particularly described the role of Postman in the society. He praised the entire Postal fraternity. The Bank Account of Shri Narendra Modi opened by touching the screen by thumb impression. He particularly told जो नहीं खाता उसका भी खाता खुल गया।

Important point of IPPB is, it is being functioned by outside staff, i.e. door to door visit of delivery Postman and GDS Staff.

The IPPB provides different banking facilities i.e. Money Transfer, Savings, Current Deposit, Insurance, Investment, Post Office Deposits Schemes, Payment of Mobile Bills, Electric Bills, Gas Bills, Donation, Payment of Insurance Instalment, E Payment etc.

However, it is still to be noted with great concern that what about staff and security.

We have to wait and watch.

- T.N. Rahate

**Journal of The National Union of Postal Employees, Postmen and Group 'C'/MTS**  
P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054. Tel.: 23818330 • Email : tnrahate@yahoo.com  
**Shri T.N. Rahate** (General Secretary) M.: 08080070500, 09869121277  
Web : www.nupestmen.org • www.nupestmenp4.blogspot.com

## इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

आखिरकार बहु प्रलंबित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत 1 सितंबर, 2018 को हो गयी। इस IPPB का उद्घाटन मा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ताल कटोरा स्टेडियम, नयी दिल्ली में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डाक विभाग एवं IT के मा. मंत्री श्री मनोज सिन्हा उपस्थित थे।

इस अवसर पर मा. प्रधान मंत्रीजी ने अपने अंगूठे की निशानदेही कर उनके नाम अपना बैंक खाता खोला। अपने भाषण में मा. प्रधान मंत्री ने चुटकी ली और कहा जो नहीं खाता उसका भी खाता खुल गया। आगे उन्होंने हमारे डाक विभाग के विषय में विश्वास की बात की और डाकिये के काम के बारे गौरवपूर्ण शब्दों में इतिहास के पन्ने पढ़े और पुराने वक्त में दूरदराज के कस्बों में जंगल नदी पार कर वक्त पर घुंघुरूवाला भाला लेकर डाक वितरण करने की बात की और कहा कि लोग उस डाकिये की घुंघुरूओं की आवाज से अपना वक्त मुकर्र करते थे।

उसी डाकिये तथा ग्रामीण डाक सेवक के जरिये इस IPPB का संचालन करने की बात करते हुए मा. प्रधानमंत्री ने IPPB राष्ट्र को समर्पित किया।

इस IPPB द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवायें दी जायेंगी जैसे आपका खाता खुलते ही आप इस IPPB से देशभर के लिए जुड़ जायेंगे क्योंकि यह IPPB मोबाइल ऑप के कारण आप कहीं भी इस बैंक की सेवायें प्राप्त कर सकते हैं।

किंतु हमें देखना होगा कि देशभर की इंटरनेट रेंज सेवा सुचारू रूप से कार्यान्वित होती रहे ताकि लोगों का डाक विभाग की IPPB पर विश्वास हो। उसी प्रकार डाकिये और ग्रामीण डाक सेवा को IPPB संचालन के लिए यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा दी जाये क्योंकि इस IPPB के खाते में रुपये एक लाख तक जमा करने की सुविधा दी गयी है।

उसी प्रकार इस IPPB संचालन हेतु अलग से स्टाफ भी देना आवश्यक है क्योंकि इस समय डाक विभाग पहले ही बहुत बड़े स्तर पर स्टाफ शार्टेज से ग्रस्त है।

इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी डाक विभाग ने IPPB कार्यान्वित किया है, हमारी शुभेच्छा।

- टी.एन. रहाटे

### CHQ Quota

All the Divisional Secretaries /  
Branch Secretaries are requested to send  
CHQ Quota of **Rs. 10/- (Rs. Ten)**  
each member per month to  
**Shri Jagdish Sharma, Treasurer (CHQ),**  
**Camp : I.P.H.O., New Delhi-110002.**  
**M.: 09555593094 / 09718093094**  
as early as possible.

### सी.एच.क्यू कोटा

सभी डिवीजनल सेक्रेटरी / ब्रांच सेक्रेटरी से  
अनुरोध किया जाता है CHQ कोटा  
**रुपये 10/- (दस रुपये)** प्रति मेंबर प्रतिमाह भेजें।  
यह चंदा दर दिसंबर 2014 से लागू है।  
**CHQ कोटा श्री जगदीश शर्मा, खंजाजी (CHQ),**  
**कैंप : आई.पी.एच.ओ. नयी दिल्ली-110002**  
**मो.: 09718093094/ 09555593094**  
को जल्द-से-जल्द से भेजें।

---

## Replies Received from the Directors

---

Department of Posts, India  
Office of Chief Postmaster General, U.P. Circle, Lucknow-226001

To,  
The Postmaster General,  
Bareilly Region,  
Bareilly

No. Rectt/U.I./2012/6

Dated 8-8-2018


**Subject :** Regarding engagement of GDS Official to Outsider in place in vacant posts of Postmen and MTS - Case of Saharanpur HO.

Kindly find enclosed herewith letter dated 17.07.2018 received from Shri T.N. Rahate, General Secretary and President, FNPO, Dalvi Sadan, Khurshid Square, Civil Lines, P&T Colony, Delhi-110054 on the above mentioned subject.

It is therefore requested to kindly look into the matter and requisite information may be furnished to the applicant at the earliest under intimation to this office.

Sd/-  
(R.K. Awasthi)  
Asstt. Director (Rectt)  
O/o CPMG, UP Circle, Lucknow

Copy for information to :- Shri T.N. Rahate, General Secretary and President, FNPO, Dalvi Sadan, Khurshid Square, Civil Lines, P&T Colony, Delhi-110054 with reference to your letter No. NU/P-IV/UP/GDS/05/Saharanpur AO/2018 dated 17-7-2018.

  
(R.K. Awasthi)  
Asstt. Director (Rectt)  
O/o CPMG UP Circle, Lucknow

---

Department of Posts  
Office of the Chief Postmaster General, U.P. Circle, Lucknow-226001

To,  
The Postmaster General,  
Bareilly Region,  
Bareilly-243001

No. Union/M-14-1/Recog/3/Ch III

Dated at Lucknow : 13-08-2018


Please find herewith a photo copy of Dte. Letter No. 16/12/2017-SR dated 02.08.2018 along with letter No. NU/P-IV/Disc. Case/AKS/2017-2018, dated 21-5-2018 from General Secretary, National Union of Postal Employees Postmen & Multi Tasking Staff Group 'C' on the above mentioned subject enclosing therewith copy of Petition dated 12.05.2015 filed by Sh. Ashok Kumar Sharma-III and it is requested that the matter may be looked into and necessary action be taken in accordance with provision under rules/instructions available in matter. A reply may also be sent to the Association directly under intimation to this office.

DA : As above

Sd/-  
(Sunil Kumar Saxena)  
Asstt. Director (Personal),  
For Chief PMG, U.P. Circle,  
Lucknow 226001

Copy for information to:-

Shri T.N. Rahate, General Secretary, National Union of Postal Employees Postman & MTS Group 'C', Dalvi Sadan, Khurshid Square, Civil Lines, P&T Colony, Delhi 110054.

  
(Sunil Kumar Saxena)  
Asstt. Director (Personal),  
For Chief PMG, U.P. Circle,  
Lucknow 226001

---

## **Revision of Entitlement of TA/DA to JCM Members**

---

F. No. 8/10/2008-JCA  
Government of India  
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions  
Department of Personnel & Training  
Establishment (JCA) Section

North Block, New Delhi  
Dated 20th August, 2018

### **OFFICE MEMORANDUM**

**Subject : Revision of Entitlement of TA/DA to JCM Members after implementation of Seventh CPC recommendations.**

The undersigned is directed to say that consequent upon the revision of rates of Travelling Allowance/Daily Allowance by the Department of Expenditure vide O.M. No. 19030/1/2017-E.IV dated 13/07/2017, the Staff Side Members of the National Council (NC)/ Departmental Councils and Third Level/Regional Councils of JCM shall be entitled to TA/ DA etc. in the following manner w.e.f. 01.07.2017.

**A. National/Departmental Council JCM**

TA/DA entitlement as admissible to officers in Pay level 12 & 13 as per Department of Expenditure's O.M. No. 19030/1/2017-E.IV dated 13/07/2017 as under:-

- (i) Travel entitlement within the country - Economy class by Air or AC-I Class by Train including travel in Premium/Premium Tatkal/Suvidha/Shatabdi/Rajdhani Trains.
- (ii) Reimbursement for Hotel Accommodation of upto Rs. 4500/- per day.
- (iii) Reimbursement of food bills not exceeding Rs. 1000/- per day.
- (iv) Reimbursement of AC Taxi Charges of upto 50 kms per day.

---


**B. Regional/Office Council (JCM)**

TA/DA entitlement as admissible to officers in Pay level 11 as per Department of Expenditure's O.M. No. 19030/1/2017-E.IV dated 13/07/2017 as under :-

- (i) Travel entitlement within the country - Economy Class by Air or AC-II Class including Rajdhani/Shatabdi Express etc.
- (ii) Reimbursement for Hotel Accommodation of upto Rs. 2250/- per day.
- (iii) Reimbursement of food bills not exceeding Rs. 900/- per day.
- (iv) Reimbursement of non-AC taxi charges of upto Rs. 338/- per day for travel within the city.

2. The admissibility of DA in case of free boarding and lodging, has been considered in Department of Expenditure. Daily Allowance is given to the Govt. employees as a reimbursement of the expenditure incurred by him on tour for his stay, food and travel at that station. In case of free boarding and lodging, the Govt. employee, if incurring any expenditure on local travel, can claim the same as per Para 2 E(i) and (iii) of the Annexure to OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017. The earlier system of giving 25% of DA has been discontinued. Also after implementation of 7th CPC recommendations, the facility of DA at 5th CPC rates is done away with.

3. This O.M. is issued with concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide I.D. No. 300377130/2018-E.IV dated 31.07.2018

  
(Jugal Singh)  
Deputy Secretary to the Government of India  
Tel. No. 23092338

---

**General Secretary Letter Addressed to Secretary (P)**

---

**U.N.I. F.N.P.O. I.N.T.U.C**  
**NATIONAL UNION OF POSTAL EMPLOYEES POSTMEN, MTS GROUP-C**  
(Recognised by Government of India)  
**Central Head Quarters, Delhi-110 054**

---

C.H.Q. : Dalvi Sadan, Khurshid Square, Civil Lines, Delhi - 110 054 • Tel.: 011-23818330 • Fax 011-23321378

---

Ref. No.: FNPO/Suggestions/3/2018  
Date : 23-08-2018

To,  
The Secretary (P), Department of Posts,  
Dak Bhawan, Sansad Marg,  
New Delhi-110001

**Subject :** Engagement of Gramin Dak Sevaks (GDS)  
in Department of Posts from local candidates - Regarding.  
(Recruitment Rules not applicable to GDS Employees.  
Only Engagement Rules are applicable thus GDS recruitment should be made  
from the local rural area or from Taluka/Zilla area only).

Respected Sir,

W.r.t. above subject we would like to invite your kind attention to the current process of **engagement of Gramin Dak Sevaks (GDS)** in Department of Posts and certain modifications required in the same.

As per the current procedure, **engagement of Gramin Dak Sevaks (GDS) in Department of Posts** is made by inviting online applications at all India level from eligible candidates. In this procedure, academic merit of applicants is considered for their engagement as GDS.

In practice, the GDS employees are connected directly with common people during their daily duties, especially in remote rural areas of the country. In fact, these GDS are the connecting bond between the government and common people. Thus while engaging any GDS employee, the language known by the applicant and also his relationship with common people in remote rural areas should have been given top most priority.

However, as per the prevailing system for engagement of GDS, both the facts i.e. knowledge of local language and relationships with local people are not considered at all. As a result of this, in many areas, GDS not only outside the village or district but

**U.N.I.**

**F.N.P.O.**

**I.N.T.U.C**

**NATIONAL UNION OF POSTAL EMPLOYEES POSTMEN, MTS GROUP-C**

(Recognised by Government of India)

**Central Head Quarters, Delhi-110 054**

C.H.Q. : Dalvi Sadan, Khurshid Square, Civil Lines, Delhi - 110 054 • Tel.: 011-23818330 • Fax 011-23321378

Ref. No.: FNPO/Suggestions/3/2018 .....

Date : 23-08-2018 .....

outside the concerned state are being engaged. This practice of engagement of GDS staff is creating a much communication gap between the GDS employee and the concerned rural people which ultimately resulting in widening the gap between a common man and the most trusted department of posts which is delivering various social schemes of union government to the last citizen of our country.

Amidst this situation, we would like to suggest for certain modifications in the prevailing engagement procedure of GDS in Department of Posts. Since GDS Employees are governed by engagement rules and not by appointment rules, we would like to request that engagement to the posts of GDS may be made by inviting applications at local levels restricted up to the concerned district of engagement. We further request that, for engagement as GDS, preference may be given to **local candidate in the village or tehsil only**. Modification in engagement rules as suggested will definitely **help in smooth delivery of various social beneficial schemes** introduced by our government to the last citizen in remote rural areas of the country.

Recruitment Rules are not applicable to GDS. Department has created Engagement Rules for the appointment of GDS, therefore **GDS should be engaged only from the local rural area** (Gram Panchayat) or from the **village area covered under Gram Panchayat**; or from the **villages covered under the Panchayat** or from the **villages covered under Zilla Parishad** and no any other place, **therefore the old ED Recruitment Rules are only applicable for the engagement of GDS**.

Hope, your kind honour will consider the suggestion and also take some positive step in this regard.

Thanking you,

Yours Sincerely



(T.N. RAHATE)

S.G. FNPO and  
General Secretary





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2018/श्रावण 25, 1940

No. 575]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2018/SHRAVANA 25, 1940

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

**सा.का.नि. 781(अ).** - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2015, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग में बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि:-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरहताएं.- वह व्यक्ति,-**

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. सेना डाक सेवा में सेवा करने की अपेक्षा.-** उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपेक्षानुसार भारत में या भारत से बाहर सेना डाक सेवा में सेवा करने का दायी होगा।

**6. शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और उन रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व-सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	510*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए	(i) किसी मान्याप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास। (ii) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा की जानकारी। उम्मीदवार ने कम से कम दसवीं

				<p>3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण:</b></p> <p>1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के ल-ख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित कई गई है।)</p> <p>2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आमंत्रित किए गए आवेदनों के लिए समाप्त होने वाली तारीख या वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p> <p>3. ग्रामीण डाक सेवकों और नैमित्तिक मजदूरों की दशा में ऊपरी आयु सीमा नहीं है।</p>	<p>कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो। राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा वही होगी जो डाक विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है।</p> <p>(iii) नैमित्तिक श्रमिक की सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।</p>
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष तथा डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया हो।	(i) ज्येष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर, (ii) ज्येष्ठता-सह-फिटनेस आधार पर 1 सितम्बर 1993 तक या उससे पूर्व लगे हुए विद्यमान ऐसे अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों, जो दिन में आठ घंटे के लिए कार्यरत हैं, की नियुक्ति से जिसके न हो सकने पर, (iii) ज्येष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व लगे हुए अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति से जिसके न हो सकने पर, (iv) सर्कल के सभी डिवीजनों के केवल उन	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - (i) सहायक महा डाकपाल या ज्येष्ठ समयमान अधिकारी या कनिष्ठ समयमान अधिकारी - अध्यक्ष; (ii) समूह 'क' या समूह 'ख' (राजपत्रित) डाक/रेल डाक सेवा अधिकारी - सदस्य; (iii) डाक सर्किल या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग का कार्यालय का समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी - सदस्य;	लागू नहीं होता

		<p>ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को उस क्षमता में तीन वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर,</p> <p>(V) डाक विभाग द्वारा समय-समय पर परिचालित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,</p> <p>टिप्पण :</p> <p>1. ऊपर उल्लिखित परीक्षा, डाक विभाग द्वारा सेना डाक सेवा और खुली प्रतियोगिता से आवेदकों की चयनित सूची बनाने के मानदंडों, परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा पैटर्न आदि के संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन शासित होगी।</p> <p>2.*(ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक होते हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा से बाहर होते हैं, जिसके कारण उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा ही की जाएगी।)</p>		
--	--	---	--	--

**भाग-II अधीनस्थ कार्यालयों के पद**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	37240* (2018)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचितविय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 1	लागू नहीं होता	खुली प्रतियोगिता के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 वर्ष।  (भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्षों तक की छूट और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्षों तक शिथिल की जा सकती है।)  <b>टिप्पण:</b> 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के	(i) किसी मान्याप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास।  (ii) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा की जानकारी। उम्मीदवार ने कम से कम दसवीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो। राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा वही होगी जो डाक विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है।  (iii) नैमित्तिक श्रमिक की सीधी भर्ती के लिए किसी

					<p>लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के ल-ख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित कई गई है)।</p> <p>2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p> <p>3. ग्रामीण डाक सेवकों और नैमित्तिक मजदूरों की दशा में ऊपरी आयु सीमा नहीं है।</p>	<p>प्रकार की शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।</p>
--	--	--	--	--	---	---

जारी अगले अंक में...

RNI No. 57368/94

Date of Publication :- 24 of every month • Posting Date 27-28

No. G-3 / DL (N) / 066 / 2018-20

SEPTEMBER, 2018

**U.N.I.**

**F.N.P.O.**

**I.N.T.U.C**

**NATIONAL UNION OF POSTAL EMPLOYEES POSTMEN, MTS GROUP-C**

(Recognised by Government of India)

Central Head Quarters, Delhi-110 054

C.H.Q. : Dalvi Sadan, Khurshid Square, Civil Lines, Delhi - 110 054 • Tel.: 011-23818330 • Fax 011-23321378



**Chalo Thiruvanamalai**  
**Tamil Nadu Circle**



*For*

**21<sup>st</sup> All India Conference**

*Of*

**National Union of Postal Employees**  
**Postmen and Multi Tasking Staff, Group 'C'**

*From*

**7<sup>th</sup> October to 9<sup>th</sup> October, 2018**

*At*

**Vaniyar Mahal (A/C) No. 62,**  
**Thirudal Street,**  
**Thiruvanamalai-606601**  
**(Tamil Nadu Circle)**



Owner, Publisher, Printer and Editor T.N. Rahate, P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054  
Printed at Vandana Print & Co. 633/634, Daryaganj, Ganj Mirkhan, Delhi-110002